रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042022-235337
CG-DL-E-23042022-235337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1827] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/ वैशाख 2, 1944
No. 1827] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

India Code

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2022

**का.आ. 1920(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मेघालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, मेघालय कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री टोनी ट्राबर्ट सी. मारक, आईएफएस (सेवानिवृत्त)<br>उम्सावली, डाकघर मॉडियांडियांग, शिलॉंग-793012 मेघालय | अध्यक्ष; |
| 2. | डॉ. हियॉबोक जोन्स सायमलीह्,<br>प्रोफेसर, भूगोल विभाग, नॉर्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलॉंग-793022, मेघालय | सदस्य; |
| 3. | मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वन्य और पर्यावरण), मेघालय सरकार | सदस्य-सचिव; |

2. प्राधिकरण, मेघालय के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, मेघालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, मेघालय अपने विनिश्चय पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, मेघालय की सहायता के प्रयोजन के लिए मेघालय राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., मेघालय कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री नब्रत भट्टाचार्जी, पूर्व कमीश्नर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, "मेघारन" ढपनी रोड, केन्च ट्रेस, डाकघर लबन, शिलॉंग-793004 मेघालय | अध्यक्ष; |
| 2. | श्री मिलनबुर्घ आर. सांगमा, (सेवानिवृत्त), मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आईटीआई के सामने, एराइमाईल-डाकोपग्रे रोड, तुरा-794101 मेघालय | सदस्य; |
| 3. | डॉ. हाईलेंड कायांग, विभागाध्यक्ष,वनस्पति शास्त्र, नॉर्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलॉंग-793022 | सदस्य; |
| 4. | श्री गिडिओन लंबोरलैंग खारकोंगर, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, सेंट एडमंडस् कॉलेज, शिलॉंग | सदस्य; |
| 5. | श्री पिनबियांग सिंह नॉंगब्री (सेवानिवृत्त) मुख्य वन संरक्षक (एसएफ एंड ई), मकान नं. 38, प्योंथर्बाह, ब्लॉक-2, जिला ईस्ट खासी हिल्स्, शिलॉंग, मेघालय-793001 | सदस्य; |
| 6. | डॉ. शिव शंकर चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, पर्यावणीय अध्ययन विभाग, नार्थ-ईस्टर्न हिल् यूनिवर्सिटी, उमशिंग, शिलॉंग-793022 | सदस्य; |
| 7. | डॉ. (श्रीमती) वैन जैनिफर जोन वॉलंग, एसोसिएट प्रोफेसर,भूविज्ञान विभाग, सेंट एंथनीज़ कॉलेज, शिलॉंग-793001 | सदस्य; |
| 8. | उप वन संरक्षक (सामाजिक वन्य और पर्यावरण), मेघालय सरकार | सदस्य सचिव। |

6. एस.ई.ए.सी., मेघालय के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एस.ई.ए.सी., मेघालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एस.ई.ए.सी., मेघालय सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(क) प्राधिकरण, मेघालय और एस.ई.ए.सी., मेघालय के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं;

(ख) प्राधिकरण मेघालय और एस.ई.ए.सी., मेघालय के अध्यक्ष और सदस्य किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोगी नहीं लेंगे,जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण, मेघालय और एसईएसी, मेघालय द्वारा मूल्यांकन किया गया; तथा

(ग) यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण, मेघालय और एस.ई.ए.सी., मेघालय के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या ईआईए अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, मेघालय और एसईएसी, मेघालय की बैठक बचाव करेंगे।

10. मेघालय राज्य सरकार, प्राधिकरण मेघालय और एस.ई.ए.सी., मेघालय के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

11. प्राधिकरण, मेघालय के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., मेघालय के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता मेघालय राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा.सं. आईए 3-1/3/2021-आईए.।।।]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेई, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2022

**S.O. 1920(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Meghalaya (hereinafter referred to as the Authority, Meghalaya) comprising of the following persons, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri Tony Trabert C. Marak, IFS (Retd.)<br>Umsawli, P.O. Mawdiangdiang, Shillong – 793012, Meghalaya | Chairman; |
| 2. | Dr. Hiambok Jones Syiemlieh,<br>Professor, Department of Geography, North-Eastern Hill University, Shillong – 793022, Meghalaya | Member; |
| 3. | Chief Conservator of Forests (Social Forestry and Environment) ,<br>Government of Meghalaya | Member Secretary; |

2. The Chairman and Members of the Authority, Meghalaya shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Meghalaya shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Meghalaya shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5.

5. For the purpose of assisting the Authority, Meghalaya, the Central Government, in consultation with the State Government of Meghalaya, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the SEAC, Meghalaya) comprising of the following Members, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri Nababrata Bhattacharjee,<br>Former Commissioner, National Green Tribunal, "Megharun" Daphne Road, Kenchs Trace, P.O. Laban, Shillong -793004, Meghalaya | Chairman; |
| 2. | Shri Millanburgh R. Sangma, (Retd.)<br>Chief Engineer, Public Works Department, Opposite ITI, Araimile-Dakopgre Road, Tura – 794101, Meghalaya | Member; |
| 3. | Dr. Highland Kayang,<br>Head of Department., Botany, North-Eastern Hill University, Shillong - 793022 | Member; |
| 4. | Shri Gideon Lamborlang Kharkongor,<br>Associate Professor, Geography Department, St. Edmund's College, Shillong | Member; |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Shri Pynbiang Singh Nongbri<br>(Retd.) Chief Conservator of Forests (SF and E), House No. 38, Pynthorbah, Block-2, East Khasi Hills District, Shillong, Meghalaya 793001 | Member; |
| 6. | Dr. Shiva Shankar Chaturvedi,<br>Associate Professor, Department of Environmental Studies, North-Eastern Hill University, Umshing, Shillong-793022 | Member; |
| 7. | Dr (Mrs) Van Jennifer Joan Wallang,<br>Associate Professor<br>Department of Geology<br>St. Anthonys College, Shillong-793001 | Member; |
| 8. | Deputy Conservator of Forests (Social Forestry & Environment), Govt. of Meghalaya | Member Secretary. |

6. The Chairman and Members of SEAC, Meghalaya shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Meghalaya shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Meghalaya shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest, –

(a) the Chairman and Members of the Authority, Meghalaya and SEAC, Meghalaya shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Meghalaya and SEAC, Meghalaya shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Meghalaya and SEAC, Meghalaya during their tenure; and

(c) if in the preceding five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Meghalaya and SEAC, Meghalaya have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Meghalaya and SEAC, Meghalaya in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Meghalaya shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Meghalaya and SEAC, Meghalaya and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Meghalaya and SEAC, Meghalaya shall be paid as per the rules of the State Government of Meghalaya.

[F. No. IA3-1/3/2021-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.